P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
E: ISSN NO.: 2349-980X Vol-III* Issue- X* June -2016

भारतीय महिलायें एवं वैश्वीकरण का प्रभाव

अन्जू
सहायक आचार्य ,
समाजशास्त्र विभाग,
दीनदयाल उपाध्याय गो0 वि0,
गोरखपुर

सारांश

निरन्तर विकास किसी भी समाज के अस्तित्व हेतु एक आधार भूत आवश्यकता है जो कि सामाजिक इकाईयों के बीच स्पर्धा को जन्म देकर पारम्परिक समाज को जटिल समाज की ओर ले जाता है। कुछ समाजों मे विकास की गति अति मन्द होती है और कुछ मे अत्यधिक तीव्र। स्त्री का मानव की दष्टि म ही नही बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण मे भी महत्वपूर्ण योगदान है। देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना सम्भव नही है। वैश्वीकरण के प्रभाव से कोई भी देश अछूता नही रह सका। इस प्रकिया ने निःसदेंह भारतीय महिलाओं की स्थिति को प्रभावित किया है। उपभोक्तावादी सॉस्कृतिक दौर मे एक ओर यदि महिला की स्थिति मजबूत हुई है तो दूसरी ओर वह कमजोर भी हुई है।

मुख्य शब्द : वैश्वीकरण, भूमण्डलीकरण, उपभोक्तावादी संस्कृति।

प्रस्तावना

नारी का दूसरा नाम ही 'सृष्टि' हैं नौ महीने तक एक महिला जिस सावधानी ओर एकाग्रता से अपने गर्भस्थ शिशु को धारण करती है, उसी से इस पृथ्वी पर मानव सभ्यता का अस्तित्व बना हुआ है।'' जब महिलायें आगे बढती ह तो परिवार आगे बढ़ते हैं, गाव आगे बढ़ते हैं राष्ट्र भी अग्रसर होते हैं। हमारे देश के सामाजिक आर्थिक विकास की सम्पूर्ण अवधारणा का मूल आधार पंडित जवाहर लाल नेहरू का ये कहे हुये शब्द हैं–'' यह एक सर्व सम्मत तथ्य है कि जब महिलायें विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगी, तभी हमारा सामाजिक आर्थिक विकास सार्थक और पूर्ण होगा''।

उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा सतत विकास की विश्वव्यापी अवधारणाओं के कारण महिलाओं के बारे में विचार बदल रहे है। उनके कार्य क्षेत्र की कल्पना का रूप परिवर्तित हो रहा है तथा अपने कर्तव्यों का नये रूप में मूल्यांकन किया जा रहा है। भारत की महिलाओं की प्रगति की चरम सीमा उनको संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार में हैं। समानता स्वीकार की गई धर्म, वंश, जाति कौम, स्थान या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से देश में नागरिक से नागरिक के बीच किसी प्रकार के भेदभाव का अन्त कर दिया है। राज्य की ओर से नौकरी या पद के लिय सब नागरिकों को समान अवसर देने का संविधानिक प्रावधान है। भारत की महिला कानून की दृष्टि से आज पुरूष के समान है।

आज वैश्वीकरण के प्रभाव से विश्व का कोई भी देश अछूता नही रह सकता। इस प्रक्रिया ने निःसंदेह भारतीय महिलाओं की स्थिति को प्रभावित किया है। वैश्वीकरण ने महिला को एक वस्तु बना दिया है और उपभोक्तावादी संस्कृति धड़ल्ले से महिलाओं का प्रयोग (दुरूपयोग) एक वस्तु के रूप में कर रही है, विशेषकर इलेक्ट्रानिक मीडिया। कोई भी फैशन शो या विज्ञापन महिलाओं के अभाव में संभव नही है।

वैश्वीकरण ने आधुनिक युवा महिलाओं को ग्लोबलसिटीजन बना दिया है जो आत्मनिर्भर, स्वनिर्मित, आत्मविश्वासी है जिसने पुरूष प्रधान चुनौती पूर्ण क्षेत्रों मे भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की है। जब केवल नर्स, शिक्षिका, स्त्री रोगों की डाक्टर न बनकर इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिक, तकनीशियन, सेना, पत्रकारिता जैसे नये क्षेत्रों को अपना रही है। वस्तुतः 21 वी शताब्दी महिला सती है। तथापि भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती सोनिया गॉधी, सुश्री मायावती, सुश्री जयललिता, सुश्री ममता बैनर्जी, सुश्री मेघा पाटेकर, श्रीमती किरण मजुमदार शॉ सुश्री इला भट्ट, श्रीमती बृन्दाकारत, सानिया मिर्जा जैसी सामाजिक राजनीतिक जीवन की ख्याति प्राप्त उगलियों पर गिनी जाने वाली महिलाओं को छोड़ दिया जाय तो समाज की अधिसंख्यक महिलाओं की स्थिति में कोई विशेष उपलब्धि जैसा परिवर्तन नही आया है और निकट भविष्य में क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा, ऐसी संभावना भी नही है।[1]

यह सत्य है कि स्वाधीनता उपरान्त न केवल शहरों अपितु ग्रामों में भी जागरूकता बढ़ी है। महिलायें घर–परिवार की चारदीवारी से निकलकर घर और

बाहर दोनों दायित्वों को निभा रही है और दोहरी जिम्मेदारी के बोझ तले पिस रही है, कई बार परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिये, उन्हें पालन पति की सेवा करने और घरेलू काम करने वाली मशीन से ज्यादा नही मानी जाती। यानी उसका शोषण तो दोहरा हो गया है और सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में काम करने की आजादी बहुत कम हो गयी है। इस तरह पितृसत्ता कमजोर होने के बजाय मजबूत हो रही है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में घोषित किया गया है कि इसका लक्ष्य न्याय प्राप्ति व समस्त नागरिकों को स्तर और अवसर की समानता प्रदान करना है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिये संविधान में 73 वे 74 वे संशोधन द्वारा देशभर की पंचायतों व जिला परिषदों में 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा, महिला आरक्षण अधिनियम पारित किया गया। सैद्धान्तिक रूप से महिलाओं को कानून के सभी अधिकार प्राप्त है, जो पुरूषों को प्राप्त है, परन्तु व्यवहार में अनेक विसगतियां है। जिनकी भुक्त भोगी हममें से अधिकांश महिलायें हैं। परिवार के अन्दर ही लड़कियों को भाइयों के समान शिक्षा, खेलकूद, खाने पीने तक की छूट नही मिलती। लड़के देर रात तक मटरगश्ती करते हैं, जबकि लड़कियों को अंधेरा होने से पूर्व घर लौटना होता है अन्यथा जब तक लड़की घर वापस नही आती तब तक माता–पिता के प्राण अधर में लटके रहते हैं।

विवाह निश्चित करते समय लड़का दिखाकर उसकी मर्जी जानने की रस्म पूरी कर ली जाती हैं बचपन से लड़कियों को शिक्षा तुम्हे दूसरे (सास) के घर जाना है अतः सारी नैतिकता, संस्कार, रसोई बनाने एवं गृहस्थी संभालने का दायित्व उसी का है। शादी के बाजार में नौकरी पेशा लड़कियों की मांग ज्यादा है, अतः अब पहले की अपेक्षा लड़कियों को काफी छुट मिल गई हैं। हालाकि नौकरी पेशा लड़कियों की समस्यायें घर बाहर दोनों जगह बढ़ गई है। पग–पग पर वह तिरस्कृत, असुरक्षित, और उत्पीड़ित हैं नारी उत्पीड़न की घटनायें द्रोपदी के चीर–हरण की तरह बढ़ रही है। कोई भी महिला ऐसी नही है जिसने जीवन में कभी न कभी कोई उत्पीड़न, शोषण, हिंसा किसी न किसी रूप में सहन ना की हो।

प्रतिवर्ष 31000 यातना मामले (पति व अन्य द्वारा) 28000 छेड़खानी के मामले, 14000 अपहरण के मामले,14000,बलात्कार के मामले, दहेज प्रताड़ना सम्बन्धी, 28000 मामले, एक दो मामले सती प्रथा।

लड़कियों और महिलाओं की स्थिति पर दिल्ली स्टेट कमीशन की रिपोर्ट रोंगटे खड़े करने वाली है मुम्बई, कोलकात्ता, चेन्नई तीनों मैट्रो शहरों से दोगुने बालात्कार के मामले दिल्लो में होते हैं। लगभग 80 प्रतिशत बालात्कार 10 से 30 वर्ष की महिलाओं के साथ और करीब 20 प्रतिशत बलात्कार 10 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों और 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के साथ हुआ। स्पष्टतः युवा स्त्रियों के साथ बलात्कार की संभावना सबसे अधिक रहती ह दस वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार पूरे देश से चार गुना अधिक, 88 प्रतिशत अपराध परिचितों और रिश्तेदारों द्वारा घटित और सबसे दुखद पहलू 89 प्रतिशत अपराध की परिधि में होते हैं।

बलात्कार की घटनाओं के पीछे हमारी उपभोक्तावादी संस्कृति, सस्कार के साथ–साथ पाश्विक मनोवृत्ति और लगातार बढ़ रहे नगरीकरण प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। अश्लील यौन साहित्य, फिल्म, वीडियों वगैरह बलात्कार की घटना को अंजाम देने की प्रमुख भूमिका निभाते हैं। संचार माध्यमों में बढ़ा सेक्स और हिंसा का प्रदर्शन, समाज में यौन अपराधों के बढ़ने में उत्प्रेरक का काम करता है। सामान्य फिल्मों में पुरूष महिला के प्रेमलाप का जो रूप परोसा जा रहा है, उसने बलात्कार को अर्थात् स्त्री देह का मुक्त रूप से भोगने को व्यापक सामाजिक स्वीकृति दे दी है। फिल्मों में जिसे देखने में ऐतराज नही है उसे यथार्थ में भी उतारने में झिझक नही रह गयी है। इस सबके बावजूद रोशनी की किरण यही है कि देश विकसित अर्थव्यवस्था 9 प्रतिशत विकास दर ने महिलाओं के समक्ष संभावनाओं के नये असीमित क्षेत्र खोल दिये हैं।[2]

भूमण्डलीकरण निजीकरण और उदारीकरण की नीतियों से स्त्रियों के रोजगार की सुरक्षा, उनके यूनियन बनाने जैसे सामुदायिक अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस प्रक्रिया में एक तरह कुछ थोड़े से लोगों की अमीरी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ बहुत से लोगों की गरीबी बढ़ रही है। मुनाफा बढ़ाने के लिये पुरूषों से कराये जाने वाले काम स्त्रियों से भी कराये जाते हैं। इससे कहने को तो यह हो जाता है कि स्त्रियों को रोजगार ज्यादा मिल रहा है लेकिन वास्तव में इससे श्रमिकों का शोषण बढ़ता है और उनके संगठित होने के अवसर भी कम हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम 'फेमिनाइजेशन ऑफ लेवर' (श्रम का स्त्रीकरण) कहते हैं, जो साथ ही गरीबी का स्त्रीकरण भी है। पूँजीवादी व्यवस्था 'गरीब औरत' को 'गरीब आदमी' की तुलना में अपने लिये कम खतरनाक मानती है। दूसरे पुरूषों के द्वारा किये जाने वाले काम स्त्रियों से कराने पर उन्हें कम मजदूरी देकर उनका शोषण भी अधिक किया जाता है। कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारियों से मुक्त शासक वर्ग स्त्रियों की शिक्षा,स्वास्थ्य, रोजगार आदि से सम्बन्धित खर्च घटाकर या उसे बिल्कुल ही बंद करके समाज के इस कमजोर वर्ग को और ज्यादा कमजोर बनाता है, भले ही नारा वह 'महिला सशक्तिकरण' को देता हो। इसके चलते स्त्रियों को गरीब स्त्रियों को न तो अच्छी शिक्षा मिल पाती है, न अच्छी नौकरी। कम मजदूरी पाने वाली स्त्री के परिवार में गरीबी बढ़ती है इसका असर बच्चे की शिक्षा, आवास, भोजन स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण तथा रोजगार पर पड़ता है। अधिकतर गरीब परिवारों की देखरेख स्त्रियों के द्वारा की जाती हैं महिलाओ के लिये निम्न तनख्वाहों वाली नौकरिया, निन्न जीवन शैली उन्हें बेहद शक्तिहीन बनाती है। महिलायें दुनिया के संसाधनों में मात्र 1 प्रतिशत पर मालिकाना हक रखती है और दुनिया के मात्र 10 प्रतिशत आय की हकदार हैं।[3]

ऐसी स्थिति में लड़कियों को कम उम्र से ही मजदूरी करने जाना पड़ता है और बहुत सी लड़कियॉ यौन शोषण एवं बलात्कार आदि की शिकार होती है। भूमण्डलीकरण से स्त्रियों का रोजगार बढ़ा नही है वास्तव

में कम हुआ है। भूमण्डलीकरण के साथ साथ स्त्री को वस्तु समझने और वस्तु बनाकर इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

महिलाओं की कार्यक्षमता सम्बन्धी निम्न आंकड़े आश्चर्यचकित कर देने वाले है– कुल आबादी में आधी होते हुये भी महिलायें दो तिहाई काम करती है पर उनके काम का एक तिहाई दर्ज हो पाता है। 70 प्रतिशत महिलायें खेती कार्य में संलग्न, विश्व के कार्य का 60 प्रतिशत कार्य महिलायें सम्पन्न करती हैं। किन्तु केवल एक प्रतिशत विश्व भूमि पर महिलाओं को स्वामित्व प्राप्त है और विश्वव्यापी आय में केवल 10 प्रतिशत की भागीदारी है। विश्व के 10 खरब गरीबों म 60 प्रतिशत महिलायें है। तथापि आर्थिक रूप से बहुत बड़ा सुधार महिलाओं की स्थिति में नही हुआ है। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम की रैकिंग के अनुसार महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में भारत का स्थान 115 नम्बर पर है। श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी भारत इंडोनिशिया, मलेशिया जैसे देशों में सबसे कम है।[4]

महिला विकास व अधिकारों की बात करना व्यर्थ है जब तक विश्व की आधी जनसंख्या को मूलभूत अधिकार प्राप्त ना हो। भारत में विश्व की जनसंख्या का 1/7 वां हिस्सा है। लगभग 800 करोड़ में से 50 प्रतिशत महिलाये है और आधी संख्या 20 वर्ष से नीचे हैं। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 12 करोड़ कन्याओं का जन्म होता है। जिसमें से डेढ़ करोड़ अपना प्रथम जन्म दिवस नही देख पाती है अर्थात 5 वर्षों में 850000 अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है केवल 9 करोड़ कन्याएं अपना 15 वां जन्म दिवस मना पाती हैं। कन्यायें अनचाही होने के साथ साथ अपने परिवार पर बोझ मानी जाती हैं वैश्वीकरण के दौर में नारी की मुश्किले बढ़ी हैं। गर्भावस्था में मा–बच्चे की देखभाल, स्वच्छ वातावरण, कार्यस्थल पर सुरक्षा से लेकर सही वक्त पर सही इलाज सरकार की प्राथमिकता है। परन्तु स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण में बढ़ोत्तरी से यह महिलाओं की पहुच से दूर हो रही हैं।[5]

कुपोषण, स्वास्थ्य के प्रति, अनदेखी , महंगी स्वास्थ्य सेवायें सभी महिलाओं के स्वास्थ्य में बाधक है। कारण चाहे गरीबी हो या विवाह उसकी गाज लड़कियों पर ही गिरती है। इसी कारण लड़कियों का शोषण घर, परिवार में, समाज जन्म से पूर्व प्रारम्भ होकर मृत्युपर्यन्त चलता रहता है।

कन्या को जन्म से शैशवावस्था, किशोरावस्था वैधत्य सभी अवस्थाओं में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। लिंग निर्धारण की उच्च तकनीक, चिकित्सीय नैतिकता के अभाव के कारण लाखों बेटियां जन्म से पहले खो जाती है। आजकल एम्नियोसिटेसिस के अलावा कोरियोनिक विलस बायोप्सी तथा अल्ट्रासाउण्ड सरीखें ऐसे वैज्ञानिक तरीके चिकित्सा जगत ने ढूढ़ लिये है, जिनसे गर्भ में लिंग का पता लगाया जा सकता है। अनैतिक मेडिकल व्यवसायिकता ने 1000 करोड़ के देशव्यापी व्यवसाय को बढ़ावा दिया है। मुस्कराती लक्ष्मी ही आधुनिक भारत का भविष्य है। जहा दक्षिण एशिया में मातृत्व मृत्युदर 1,00,00 लाख पर 540 की मृत्यु हो जाती है वही भारत में प्रति 5 मिनट में एक महिला की मृत्यु।[6]

आज के वैज्ञानिक , वैश्वीकरण के युग में अधिकतर मृत्यु इसलिये होती है क्योंकि वे समय पर अस्पताल नही पहुॅच पाती। वस्तुतः गरीबी और ग्रामीण शैली एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। आज रक्ताल्पता, ल्युकोरिया, कुपोषण, मलेरिया, एनिमिया और प्रसूति सम्बंधी बीमारियों से बालिकायें एवं महिलायें सबसे अधिक प्रभावित हैं।

वैश्वीकरण के दौर में चिकित्सा तंत्र इतना विशाल और मजबूत हो गया है कि उसके सामने आम आदमी असहाय है। चाहे बीमारी छोटी हो या बड़ी, अस्पताल सरकारी हो या निजी, मरीज और उनके तीमारदारों का बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी भरोसा नही रहता कि इलाज ठीक होगा। कभी भरोसे और उम्मीद का पर्याय रहा चिकित्सा अब विशुद्ध धंधा बन चुका है।

उद्देश्य

इस अध्ययन का मुख्य उददेश्य उपभोक्तावादी संस्कृति मे महिलाओं की स्थिति मे परिवर्तन को दर्शाना है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते है कि महिला सशक्तिकरण के कारण महिलाऐं सशक्त हुई है और वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने मुख्य रूप से उन्हे प्रभावित किया है। जहॉ एक ओर वो अपने आपको सशक्त पाती है वहीं दूसरी ओर वह अपने आपको अकेला भी महसूस करती है।

सन्दभ ग्रन्थ सूची

1. महिलाओं का आर्थिक, सशक्तिकरण, योजना अक्टूबर 2008।
2. महिला सशक्तिकरण और मूल्य– डा0 मधुबाला चौहान।
3. परीक्षा मंथन (2011 जनगणना) इलाहाबाद।
4. नदीम हसनैन,'' समकालीन भारतीय समाज' लखनऊ (2004)।
5. डा0 गार्गी बुलबुल– भूमण्डीकरण और महिलाओं पर इसका प्रभाव (राधा कमल मुकर्जी, चिन्तन परम्परा)।
6. डा0 ज्ञान प्रकाश गौतम– महिला सशक्तिकरण एवं वैश्वीकरण कला प्रकाशन वाराणसी।